

215

20 91

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा
(म0प्र0)



छोटेलाल तनय रामसखा वैश्य निवासी ग्राम गन्नई,
तहसील सरई, जिला सिंगरौली म0प्र0

Rs. 30/-

R 5172-117

निगरानीकर्ता

बनाम्

- 1- लल्लू प्रसाद तनय जगन्नाथ प्रसाद वैश्य निवासी ग्राम गन्नई, तहसील सरई, जिला सिंगरौली म0प्र0
- 8- बृहस्पति प्रसाद तत्कालिक पटवारी हल्का गन्नई, तहसील सरई, जिला सिंगरौली म0प्र0
- 9- म0प्र0 शासन

गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी अंतर्गत धारा 50
म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

निगरानी विरुद्ध आदेश कलेक्टर
जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक

309 बी/121/15-16 आदेश
दिनांक 27-03-17

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है-


- 1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह मनमाना तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
- 2- यह कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसमे मामले में उपलब्ध साक्ष्यों का उचित

दोटेरल (6)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... P.S. 172-II/17..... जिला-..... सिंगरली

..... डॉ. जाल वैश्य विरुद्ध..... लालू प्रसाद

(1)	(2)	(3)
16-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री..... <u>विपिन साहू</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर-कलेक्टर, जिला..... <u>सिंगरली</u> के प्रकरण क्रमांक..... <u>309/जी-121/2015-16</u>..... में पारित आदेश दिनांक..... <u>27.03.17</u>..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक..... <u>29.03.19</u>..... को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	